

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 11777 वर्ष 2025**

बबलू तिवारी

.....आवेदक(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव गृह लखनऊ, के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता: गंगा प्रसाद मिश्र, अनिल कुमार पांडे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, गौरव चंद्र कश्यप, नीरज पांडे

न्यायालय कक्ष संख्या.-12**माननीय न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आवेदक की ओर से दायर की गई पहली जमानत याचिका है, जो थाना- कर्नलगंज, जिला- गोंडा में धारा 115(2), 352, 351, 118(2) भारतीय न्याय संहिता (संबंधित धारा 323, 504, 506, 326 भारतीय दंड संहिता) के तहत दर्ज अपराध संख्या 411/2025 में शामिल है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक पर आरोप है कि उसने सूचनाकर्ता का कान काट दिया। अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उस पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह भी बताया गया कि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, सूचनाकर्ता नशे की हालत में था और संभव है कि चोट आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई हो।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक 10.10.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है। हालाँकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके, कि सह-आरोपी, जिसकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी, जिसकी भूमिका आवेदक के समान है, को जमानत दी जा चुकी है, आवेदक 10.10.2025 से जेल में बंद है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. थाना- कर्नलगंज, जिला- गोंडा में धारा 115(2), 352, 351, 118(2) भारतीय न्याय संहिता (संबंधित धारा 323, 504, 506, 326 भारतीय दंड संहिता) के तहत दर्ज अपराध संख्या 411/2025 में आरोपी बबलू तिवारी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो जमानती प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में अधिरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करे।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।
- (vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

3 जून, 2026

कन्हैया/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।